भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3137

जिसका उत्तर 20.08.2025 को दिया जाना है

नवनिर्मित राजमार्गों और पुलों में अवसंरचनात्मक विफलताएँ

3137. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

श्री हारिस बीरानः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को वर्षा के कारण नवनिर्मित सड़कों, पुलों और एक्सप्रेसवे को हुए नुकसान की हालिया घटनाओं की जानकारी है;

(ख) जून, 2025 से ऐसी अवसंरचनात्मक विफलताओं की परियोजना-वार और राज्य-वार बताई गयीसंख्या कितनी है और इन विफलताओं के लिए किन कारणों की पहचान की गयी है;

(ग) क्या जिम्मेदार संविदाकारों या एजेंसियों के खिलाफ, काली सूची में डाले जाने या शास्तियांअधिरोपित करने सहित कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) मंत्रालय भावी राजमार्ग परियोजनाओं में बेहतर निर्माण गुणवत्ता, जल निकासी डिजाइन औरजलवायु रोधक्षमता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)/राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का विस्तृत डिजाइन, विकास और अनुरक्षण, उन पर अवसंरचनाओं (जैसे पुल आदि) सहित, और संबंधित मानक अनुबंध/रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) मोड या निर्माण, संचालन और अंतरण (बीओटी) मोड या हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर कार्यान्वित कार्य के पूरा होने के बाद दोष देयता अवधि (डीएलपी) / रियायत अवधि के दौरान दोषों का सुधार, संबंधित संविदाकार/रियायतग्राही की जिम्मेदारी है।

वर्तमान वर्ष के दौरान 5 परियोजनाओं/खंडों में बारिश के कारण नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों/राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे, जिनमें पुल आदि जैसी अवसंरचनाएं भी शामिल हैं, में मुख्य कमियां/क्षति की सूचना मिली है, जिनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण और कृत कार्रवाई अनुलग्नक में संलग्न है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों में निर्दिष्ट निर्धारित गुणवत्ता मानकों और संहिताओं (कोड्स) के अनुसार किया जाए। राजमार्ग निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन एजेंसियों द्वारा निर्माण स्थल (साइट) पर कार्यों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए परामर्शदाता [प्राधिकरण के अभियंता (एई)/स्वतंत्र अभियंता (आईई)] नियुक्त किए जाते हैं। निष्पादन एजेंसियों के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण

करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रियायतग्राही/संविदाकार द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे अनुबंध/रियायत करार की तकनीकी अनुसूचियों में यथा निर्धारित या निष्पादन एजेंसी/एई/आईई द्वारा यथानिर्णित उचित अवधि के भीतर आवश्यक सुधारात्मक/प्रतिकारक कार्रवाई करने के लिए रियायतग्राहियों/संविदाकारों के ध्यान में लाया जाता है।

सरकार ने गुणवत्ता संबंधी मुद्दों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित मुद्दों/शिकायतों के बारे में नागरिक फीडबैक के लिए लोक शिकायत पोर्टल, मोबाइल आधारित राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने की प्रणाली संस्थापित की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जिनमें निर्माण की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, के बारे में अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से प्राप्त शिकायतों के लिए, सरकार ने वेब पोर्टल के माध्यम से इन शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए एक आंतरिक कार्यतंत्र स्थापित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनएच परियोजनाओं के लिए अधिकारियों/रियायतग्राहियों/संविदाकारों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई वन/तत्पर नामक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में दोष सुधार सहित गुणवत्ता की निगरानी करना शुरू किया है। इस ऐप का उपयोग फील्ड अधिकारी/इंजीनियर/संविदाकार/रियायतग्राही सीधे साइट पर दैनिक और मासिक दोषों की डिजिटल रिपोर्टिंग, निरीक्षण के लिए जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प्ड फोटो प्रस्तुत करने और परीक्षण परिणामों को डिजिटल रूप से अपलोड करने के माध्यम से किया जाता हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों में सुधार के लिए निम्नलिखित पहल की हैं: -

i. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में स्वचालित और कुशल /मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (एआई-एमसी) को अपनाना;
ii. निर्माण पूरा होने के समय और उसके बाद हर छह माह में एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) के माध्यम से सड़क की स्थिति का आकलन; समर्पित केंद्रीय सेल के माध्यम से संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) के दौरान संविदात्मक प्रावधानों के विश्लेषण और प्रवर्तन का उपयोग करके सड़क की स्थिति के आकलन के लिए एनएसवी प्रणाली का और अधिक सुधार;
iii. किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता के आवधिक मूल्यांकन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एकीकृत ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) में ड्रोन सर्वेक्षणों से संग्रहित उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी का समय-समय पर विश्लेषण;
iv. परियोजना कार्यान्वयन चरणों के दौरान समय-समय पर कार्यों की समग्र स्थिति और गुणवत्ता के नैदानिक (डायग्नोस्टिक्स) आकलन के लिए चार राज्यों अर्थात् गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक में प्रायोगिक (पायलट) आधार पर गैर-विनाशकारी परीक्षण उपकरणों से लैस मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन (एमक्यूसीवी) चलाना;

v. मामला-दर-मामला आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की स्वतंत्र गुणवत्ता लेखा परीक्षा के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।

सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास/उन्नयन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय वर्षा, उच्च बाढ़ स्तर, जलवायु, भू-भाग का प्रकार, मृदा श्रेणी आदि पहलुओं को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। तदनुसार, सड़क किनारे लाइन वाली/बिना लाइन वाली नालियों, क्रॉस ड्रेनेज अवसंरचनाओं जैसे पुलिया, प्राकृतिक प्रवाहों/जल निकासी पर छोटे और बड़े पुलों का निर्माण मानक विनिर्देशों और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) संहिताओं (कोड्स) के अनुसार संविदाकार/रियायतग्राही द्वारा परियोजना के अनुबंध के दायरे के अनुसार किया जाता है।

अनुलग्नक

'नवनिर्मित राजमार्गों और पुलों में अवसंरचनात्मक विफलताएँ' के संबंध में श्रीमती फूलो देवी नेतम और श्री हारिस बीरान द्वारा दिनांक 20.08.2025 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3137 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उलिलिखित अनुलग्नक।

वर्तमान वर्ष के दौरान बारिश के कारण नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों/राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे, उन पर बनी अवसंरचनाओं (जैसे पुल आदि) सहित, में दर्ज की गई मुख्य कमियों/क्षति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा तथा कृत कार्रवाई:-

राज्य	क्र. सं.	परियोजना / खंड का नाम	मुख्य क्षतियों/दोषों का विवरण	कृत कार्रवाई
गुजरात	1	सांचौर-संतालपुर पैकेज-4	जून 2025 में बारिश के बाद हाल ही में गड्ढे, दरारें और सतह विरूपण / परेशानी देखी गई; कुछ स्थानों पर काफी रटिंग (पट्टियों की लकीर) बन गए।	संविदाकार पर 2.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही उसे एक वर्ष तक या सफल सुधार होने, जो भी बाद में हो, तक के लिए प्रतिबंध (डिबार) करने की सिफारिश की गई है।
केरल	2	नीलेश्वरम- थालिपरंभा खंड	कटे हुए खंड़ो में असुरक्षित मिट्टी का खिसकना तथा सड़क पर मलबा जमा होना।	सुधार कार्य किया गया और मध्य भाग में एहतियाती बैरिकेडिंग के साथ यातायात बहाल कर दिया गया।
	3	वलंचेरी बाईपास के आरंभ से एनएच-66 (पुराना एनएच-17) के कपिरिक्कड़ खंड के डिजाइन चैनेज 298+500 (एक्स. किमी 304.250) से डिजाइन चैनेज 335+850 (एक्स. किमी 349.260) तक तक छह लेन का कार्य।	आरई दीवार (वॉल) ढह गई	संविदाकार और स्वतंत्र इंजीनियर फर्म को 01 माह की अवधि के लिए या विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच पूरी होने तक, जो भी बाद में हो, वर्तमान/भविष्य की बोली में भाग लेने से डिबार कर दिया गया।
नागालैंड	4	कोहिमा और माओ के बीच एनएच-02 पर 191.980 किमी से 192.060 किमी तक (फेसामा गांव के पास)	धसाव क्षेत्र बनना; 110-150 मीटर की लंबाई में लगभग 22 मीटर तक धंसा हुआ।	जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ

राज्य	क्र. सं.	परियोजना / खंड का नाम	मुख्य क्षतियों/दोषों का विवरण	कृत कार्रवाई
राजस्थान	**5**	अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग-754के के संगरिया (चौटाला के निकट)-रासीसर (बीकानेर के निकट) खंड के किमी 28+70 से किमी 53+0 तक 6-लेन पहुंच-नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण।	कुछ स्थानों पर सड़क की गुणवत्ता में कमियां और भू-धसांव देखा गया	(i) संविदाकार पर 50.00 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया। (ii) पर्यवेक्षण ठीक से नही करने के कारण प्राधिकरण इंजीनियर टीम के दो प्रमुख कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया।

*****